

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |  |                 |                       |                         |                       |           |           |             |           |           |          |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|
| 16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति                                                                          | मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विकास खण्ड पाटी में काठगोदाम खुटानी लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग से ग्रामसभा गहतोड़ा में झाड़ सिरतोली तक मोटर मार्ग का निर्माण।                                                                                                                |                         |  |                 |                       |                         |                       |           |           |             |           |           |          |           |  |
| (i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र                                                                                  | उत्तराखण्ड राज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |  |                 |                       |                         |                       |           |           |             |           |           |          |           |  |
| (ii) जिला                                                                                                  | चम्पावत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |  |                 |                       |                         |                       |           |           |             |           |           |          |           |  |
| (iii) जिला वन प्रभाग                                                                                       | चम्पावत वनप्रभाग चम्पावत                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |  |                 |                       |                         |                       |           |           |             |           |           |          |           |  |
| (iv) पूर्वक्षेण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र                                    | <table><tr><td>1. आरक्षित भूमि</td><td>मो0मा0 हेतु 0.560 हे0</td><td>मलुवा निस्तारण हेतु ---</td></tr><tr><td>2. सिविल/राज्य वनभूमि</td><td>0.210 हे0</td><td>0.200 हे0</td></tr><tr><td>कुल वन भूमि</td><td>0.770 हे0</td><td>0.200 हे0</td></tr><tr><td>महायोग -</td><td>0.970 हे0</td><td></td></tr></table> |                         |  | 1. आरक्षित भूमि | मो0मा0 हेतु 0.560 हे0 | मलुवा निस्तारण हेतु --- | 2. सिविल/राज्य वनभूमि | 0.210 हे0 | 0.200 हे0 | कुल वन भूमि | 0.770 हे0 | 0.200 हे0 | महायोग - | 0.970 हे0 |  |
| 1. आरक्षित भूमि                                                                                            | मो0मा0 हेतु 0.560 हे0                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मलुवा निस्तारण हेतु --- |  |                 |                       |                         |                       |           |           |             |           |           |          |           |  |
| 2. सिविल/राज्य वनभूमि                                                                                      | 0.210 हे0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.200 हे0               |  |                 |                       |                         |                       |           |           |             |           |           |          |           |  |
| कुल वन भूमि                                                                                                | 0.770 हे0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.200 हे0               |  |                 |                       |                         |                       |           |           |             |           |           |          |           |  |
| महायोग -                                                                                                   | 0.970 हे0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |  |                 |                       |                         |                       |           |           |             |           |           |          |           |  |
| 17. पूर्वक्षेण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति:                                               | आरक्षित, सिविल/राज्य भूमि                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |  |                 |                       |                         |                       |           |           |             |           |           |          |           |  |
| 18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:                                        | चीड़ प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |  |                 |                       |                         |                       |           |           |             |           |           |          |           |  |
| (i) वन का प्रकार                                                                                           | <table><tr><td>1. आरक्षित भूमि</td><td>मो0मा0 हेतु 0.560 हे0</td><td>मलुवा निस्तारण हेतु ---</td></tr><tr><td>2. सिविल/राज्य वनभूमि</td><td>0.210 हे0</td><td>0.200 हे0</td></tr><tr><td>कुल वन भूमि</td><td>0.770 हे0</td><td>0.200 हे0</td></tr><tr><td>महायोग -</td><td>0.970 हे0</td><td></td></tr></table> |                         |  | 1. आरक्षित भूमि | मो0मा0 हेतु 0.560 हे0 | मलुवा निस्तारण हेतु --- | 2. सिविल/राज्य वनभूमि | 0.210 हे0 | 0.200 हे0 | कुल वन भूमि | 0.770 हे0 | 0.200 हे0 | महायोग - | 0.970 हे0 |  |
| 1. आरक्षित भूमि                                                                                            | मो0मा0 हेतु 0.560 हे0                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मलुवा निस्तारण हेतु --- |  |                 |                       |                         |                       |           |           |             |           |           |          |           |  |
| 2. सिविल/राज्य वनभूमि                                                                                      | 0.210 हे0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.200 हे0               |  |                 |                       |                         |                       |           |           |             |           |           |          |           |  |
| कुल वन भूमि                                                                                                | 0.770 हे0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.200 हे0               |  |                 |                       |                         |                       |           |           |             |           |           |          |           |  |
| महायोग -                                                                                                   | 0.970 हे0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |  |                 |                       |                         |                       |           |           |             |           |           |          |           |  |
| (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व                                                                            | 0.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |  |                 |                       |                         |                       |           |           |             |           |           |          |           |  |
| (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना                 | मोटर मार्ग के निर्माण में चीड़- <i>Pinus roxburghii</i> के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।                                                                                                                                                                                                                           |                         |  |                 |                       |                         |                       |           |           |             |           |           |          |           |  |
| (iv) पूर्वक्षेण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा                          | मोटर मार्ग का समरेखन जहाँ नाप भूमि से असंभव हो, वहीं वनभूमि में किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                    |                         |  |                 |                       |                         |                       |           |           |             |           |           |          |           |  |
| 19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी | भू-वैज्ञानिक के अनुसार भू गर्भीय स्थिति अल्मोड़ा क्रिस्टलाइन समूह की चम्पावत ग्रेनोडायराइट फरमेसन की इल फोलिएटेड ग्रेनाइट नाईस की चट्टानें हैं। भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न है।                                                                                                                 |                         |  |                 |                       |                         |                       |           |           |             |           |           |          |           |  |
| 20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :              | अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित वनभूमि एवं वनपंचायत/राज्य भूमि में ही मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिससे यह वनभूमि के अन्तर्गत ही है।                                                                                                                                  |                         |  |                 |                       |                         |                       |           |           |             |           |           |          |           |  |
| 21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |  |                 |                       |                         |                       |           |           |             |           |           |          |           |  |
| (i) पूर्वक्षेण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :           | प्रस्तावित स्थल पर विशेष वन्य जीव प्रजाति नहीं पाई जाती है।                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |  |                 |                       |                         |                       |           |           |             |           |           |          |           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)                                               | नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)                                                                              |
| (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)                     | नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)                                                                              |
| (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) | नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)                                                                              |
| (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे                                                                                                                                                                                                | नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)                                                                              |
| 22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)                                                                           | नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)                                                                              |
| 23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |
| (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।                                                                                                                                                                       | मोटर मार्ग का निर्माण हेतु अन्य विकल्प नहीं है। प्रस्तावक विभाग द्वारा दर्शित भूमि न्यूनतम व अपरिहार्य है। |
| (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है।                                                                                                                                                                                                                    | जहाँ संभव है, वहाँ निजी भूमि का चयन कर उपयोग किया जा रहा है।                                               |
| 24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)                                                                                                                                                                                                         | नहीं                                                                                                       |
| (ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्लित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही                                                                             | नहीं                                                                                                       |
| (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)                                                                                                                                                                                                                                                           | नहीं                                                                                                       |
| 25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |
| (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00 हे० से कम वनभूमि प्रभावित हो रही है। 100 वृक्षों का प्राक्कलन संलग्न है।                              |
| (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।                                                                                                                                                             | 1.00 हे० से कम वनभूमि प्रभावित हो रही है। 100 वृक्षों का प्राक्कलन संलग्न है।                              |
| (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।                                                                                                                                          | 1:50000 का मानचित्र एवं डिजिटल मैप संलग्न है।                                                              |
| (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं                                                                                                                                                                                       | हाँ संलग्न है।                                                                                             |

9.45
73

|                                                                                                                                                                             |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (हां/नहीं)।                                                                                                                                                                 |                                                                               |
| (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिचय :                                                                                                                      | 1.00 हे० से कम वनभूमि प्रभावित हो रही है। 100 वृक्षों का प्राक्कलन संलग्न है। |
| (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है (हां/नहीं)।  | प्रमाण पत्र संलग्न है।                                                        |
| 26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। | संलग्न है।                                                                    |
| 27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों                                                                                 | प्रस्ताव स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रसारित                                |

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर    नाम    शासकीय मुद्रा

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
लोहाघाट